

पत्रांक : 11/अनु 1-01/14

पटना, दिनांक

अनौपचारिक
रूप से
परामर्शित।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

द्वारा : वित्त विभाग।

विषय : राज्य के 10+2 माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत जिला परिषद् एवं विभिन्न नगर निकायों में नियोजित 9004 उच्च माध्यमिक शिक्षकों के चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में नियत वेतन के भुगतान हेतु ₹ 1,27,61,90,900/- (एक अरब सताइस करोड़ एकसठ लाख नब्बे हजार नौ सौ) रुपये एवं विगत वित्तीय वर्षों के बकाया वेतन के भुगतान हेतु ₹ 12,57,79,600/- (बारह करोड़ संतावन लाख उनासी हजार छः सौ) रुपये अर्थात् कुल ₹ 1,40,19,70,500/- (एक अरब चालीस करोड़ उननीस लाख सत्तर हजार पाँच सौ) रुपये मात्र की स्वीकृति एवं तत्काल ₹ 46,72,43,400/- (छियालीस करोड़ बहत्तर लाख तेतालीस हजार चार सौ) रुपये मात्र की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश : स्वीकृत।

राज्य के माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत जिला परिषद् उच्चतर/नगर निकायों के माध्यमिक शिक्षकों के नियत वेतन भुगतान हेतु राज्य सरकार द्वारा सभी जिला परिषद् एवं नगर निकायों को सहायक अनुदान वेतन के रूप में राशि उपलब्ध कराया जाना है।

2. वर्ष 2014-15 में लेखा अनुदान पारित होने के कारण राज्य के माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत जिला परिषद् एवं नगर निकायों में नियोजित 9004 उच्च माध्यमिक शिक्षकों का निकायवार नियत वेतन एवं बकाया वेतन के भुगतान हेतु प्रावधानित राशि में से वित्त विभाग के परामर्श के अनुसार 33.33 प्रतिशत राशि की निकासी की जाएगी।

3. राज्य के 10+2 माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत जिला परिषद् एवं विभिन्न नगर निकायों में नियोजित 9004 उच्च माध्यमिक शिक्षकों के चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में नियत वेतन के भुगतान हेतु ₹ 1,27,61,90,900/- (एक अरब सताइस करोड़ एकसठ लाख नब्बे हजार नौ सौ) रुपये एवं विगत वित्तीय वर्षों के बकाया वेतन के भुगतान हेतु ₹ 12,57,79,600/- (बारह करोड़ संतावन लाख उनासी हजार छः सौ) रुपये अर्थात् कुल ₹ 1,40,19,70,500/- (एक अरब चालीस करोड़ उननीस लाख सत्तर हजार पाँच सौ) रुपये मात्र की स्वीकृति एवं तत्काल ₹ 46,72,43,400/- (छियालीस करोड़ बहत्तर लाख तेतालीस हजार चार सौ) रुपये मात्र की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. जिला परिषद् एवं विभिन्न नगर निकायों में नियोजित 9004 उच्च माध्यमिक शिक्षकों का निकायवार नियत वेतन एवं बकाया वेतन का भुगतान निम्नवत् किया जाएगा :-

(क) नगर निगम के अन्तर्गत नियोजित शिक्षकों के चालू वित्तीय वर्ष के नियत वेतन भुगतान हेतु ₹ 15,31,84,400/- (पन्द्रह करोड़ एकतीस लाख चौरासी हजार चार सौ) रुपये तथा विगत वित्तीय वर्षों के बकाया वेतन के भुगतान हेतु ₹ 27,73,100 (सत्ताइस लाख तिहत्तर हजार एक सौ) रुपये अर्थात् कुल ₹ 15,59,57,500/- (पन्द्रह करोड़ उनसठ लाख संतावन हजार पाँ सौ) रुपये मात्र की आवश्यकता है। उक्त राशि में से तत्काल ₹ 5,19,72,293/- (पाँच करोड़ उन्नीस लाख बहत्तर हजार दो सौ तिरानवें) रुपये मात्र की विमुक्ति की जाएगी। उपर्युक्त राशि का विकलन मांग संख्या 21, मुख्य शीर्ष-2202, सामान्य शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष-02-माध्यमिक शिक्षा, लघुशीर्ष-191 नगर निगम को सहायता, उपशीर्ष-0002-नगर उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु, विपत्र कोड-एन०-2202021910002 के अन्तर्गत विषयशीर्ष-3104 सहायक अनुदान-वेतन से किया जायेगा। संगत शीर्ष में वित्तीय वर्ष 2014-15 में ₹ 32,80,32,000/- (बत्तीस करोड़ अस्सी लाख बत्तीस हजार) रुपये का बजट प्रावधान है।

(ख) नगर परिषद् के अन्तर्गत नियोजित शिक्षकों के चालू वित्तीय वर्ष के नियत वेतन भुगतान हेतु ₹ 15,10,21,018/- (पन्द्रह करोड़ दस लाख इक्कीस हजार अठारह) रुपये तथा विगत वित्तीय वर्षों के बकाया वेतन के भुगतान हेतु ₹ 1,87,66,920/- (एक करोड़ सत्तासी लाख छियासठ हजार नौ सौ बीस) रुपये अर्थात् कुल ₹ 16,97,87,938/- (सोलह करोड़ संतानवे लाख सत्तासी हजार नौ सौ अड़तीस) रुपये मात्र की आवश्यकता है। उक्त राशि में से तत्काल ₹ 5,65,81,977/- (पाँच करोड़ पैंसठ लाख एकासी हजार नौ सौ सतहत्तर) रुपये मात्र की विमुक्ति की जाएगी। उपर्युक्त राशि का विकलन मांग संख्या-21, मुख्य शीर्ष-2202 सामान्य शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष-02 माध्यमिक शिक्षा, लघुशीर्ष-192 नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता, उपशीर्ष-0002 नगर उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु, विपत्र कोड-एन०-2202021920002 के अन्तर्गत विषयशीर्ष-3104 सहायक अनुदान-वेतन से किया जायेगा। संगत शीर्ष में वित्तीय वर्ष 2014-15 में ₹ 21,64,32,000/- (इक्कीस करोड़ चौसठ लाख बत्तीस हजार) रुपये का बजट प्रावधान है।

(ग) नगर पंचायत के अन्तर्गत नियोजित शिक्षकों के चालू वित्तीय वर्ष के नियत वेतन भुगतान हेतु ₹ 11,05,48,389/- (ग्यारह करोड़ पाँच लाख अड़तालीस हजार तीन सौ नवासी) रुपये तथा विगत वित्तीय वर्षों के बकाया वेतन के भुगतान हेतु ₹ 1,44,66,295/- (एक करोड़ चौवालीस लाख छियासठ हजार दो सौ पंचानवे) रुपये अर्थात् कुल ₹ 12,50,14,684/- (बारह करोड़ पचास लाख चौदह हजार छः सौ चौरासी) रुपये मात्र की आवश्यकता है। उक्त राशि में से तत्काल ₹ 4,16,59,053/- (चार करोड़ सोलह लाख उनसठ हजार तिरपन) रुपये मात्र की विमुक्ति की जाएगी। उपर्युक्त राशि का विकलन मांग संख्या 21, मुख्य शीर्ष-2202 सामान्य शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष-02 माध्यमिक शिक्षा लघुशीर्ष-193 नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्रों की समितियाँ या उनके समतुल्य को सहायता, उपशीर्ष-0002 नगर उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु, विपत्र कोड- एन०-2202021930002 के अन्तर्गत विषयशीर्ष-3104 सहायक अनुदान-वेतन से किया जायेगा। संगत शीर्ष में वित्तीय वर्ष 2013-14 में ₹ 15,55,20,000/- (पन्द्रह करोड़ पचपन लाख बीस हजार) रुपये का बजट प्रावधान है।

(घ) जिला परिषद् के अन्तर्गत नियोजित शिक्षकों के चालू वित्तीय वर्ष के नियत वेतन भुगतान हेतु ₹ 86,14,37,095 (छियासी करोड़ चौदह लाख सैंतीस हजार पंचानवे) रुपये तथा विगत वित्तीय वर्षों के बकाया वेतन के भुगतान हेतु ₹ 8,97,73,283/—(आठ करोड़ संतानवे लाख तिहत्तर हजार दो सौ तिरासी) रुपये अर्थात् कुल ₹ 95,12,10,378/—(पंचानवे करोड़ बारह लाख दस हजार तीन सौ अठहत्तर) रुपये मात्र की आवश्यकता है। उक्त राशि में से तत्काल ₹ 31,70,30,077/—(एकतीस करोड़ सत्तर लाख तीस हजार सतहत्तर) रुपये मात्र की विमुक्ति की जाएगी। उपर्युक्त राशि का विकलन मांग संख्या-21, मुख्य शीर्ष-2202 सामान्य शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष-02 माध्यमिक शिक्षा, लघुशीर्ष-196 जिला परिषदों/जिला स्तर के पंचायतों को सहायता, उपशीर्ष-0002 जिला परिषद् उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों को समेकित अनुदान हेतु, विपत्र कोड-एन०-2202021960002 के अन्तर्गत विषयशीर्ष-3104 सहायक अनुदान-वेतन से किया जायेगा। संगत शीर्ष में वित्तीय वर्ष 2014-15 में ₹ 1,24,83,36,000/—(एक अरब चौबीस करोड़ तिरासी लाख छत्तीस हजार) रुपये का बजट प्रावधान है।

5. उपर्युक्त कंडिका 3 (क) से (घ) में नियोजित उच्च माध्यमिक शिक्षक के वित्तीय वर्ष 2014-15 के नियत वेतन भुगतान हेतु ₹ 1,27,61,90,900/—(एक अरब सताइस करोड़ एकसठ लाख नब्बे हजार नौ सौ) रुपये एवं विगत वित्तीय वर्षों के बकाया वेतन के भुगतान हेतु ₹ 12,57,79,600/—(बारह करोड़ संतावन लाख उनासी हजार छः सौ) रुपये अर्थात् कुल ₹ 1,40,19,70,500/—(एक अरब चालीस करोड़ उननीस लाख सत्तर हजार पाँच सौ) रुपये मात्र की आवश्यकता है, जिसमें से तत्काल ₹ 46,72,43,400/—(छियालीस करोड़ बहत्तर लाख तेतालीस हजार चार सौ) रुपये की विमुक्ति की जाएगी।

6. उच्च माध्यमिक शिक्षकों का माहवार नियत वेतन भुगतान विभिन्न निकायों के लिए उप शीर्षवार वांछित राशि (कंडिका 3-(क) से (घ) में अंकित राशि) की निकासी हेतु वित्त विभाग के पत्रांक-7355 दिनांक 05-10-2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

नवनियोजित उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियत वेतन का भुगतान Standing advice के आधार पर बैंक द्वारा E Transfer के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृत राशि का जिलावार आवंटनादेश निदेशक माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना द्वारा संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) को किया जायेगा। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) के द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु कोषागार से निकासी के उपरांत संबंधित नियोजन इकाई के खाते में राशि स्थानान्तरित की जायगी। नियोजन इकाई द्वारा बैंक को नियोजित उच्च माध्यमिक शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु Standing advice के आधार पर बैंक द्वारा E Transfer के माध्यम से प्रति माह वेतन भुगतान की राशि संबंधित उच्च माध्यमिक शिक्षक के खाते में हस्तांतरित कर दी जायगी।

दिनांक 01.04.2013 के बाद के बकाया वेतन का भुगतान उपर्युक्त प्रक्रिया से जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्था0) के द्वारा किया जाएगा, जिसके लिए उन्हें आवंटन उपलब्ध कराया जाएगा।

दिनांक 01.04.2013 के पूर्व के बकाया वेतनादि का भुगतान जिलावार आवंटनादेश निदेशक माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, पटना द्वारा संबंधित जिला परिषद्, नगर निगम एवं नगर पंचायत के नगर आयुक्त/मुख्य कार्यपालक/कार्यपालक पदाधिकारी को किया जायेगा। नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा जिले के संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को उनके मांग पत्र के आधार पर राशि उप आवंटित करेंगे। संबंधित प्रधानाध्यापक द्वारा विपत्र के आधार पर कोषागार से राशि की निकासी कर नियोजित उच्च माध्यमिक शिक्षकों के बैंक खाते में नियत वेतन की राशि स्थानान्तरित किया जायेगा।

7. ऊपर अंकित शीर्ष के अन्तर्गत विभिन्न नियोजन निकाय में नियोजित उच्च माध्यमिक शिक्षकों के चार माह के नियत वेतन भुगतान एवं बकाया वेतन भुगतान हेतु राशि विमुक्त की जाएगी।

8. संचिका संख्या-11/अनु 1-01/14 के पृष्ठ-09/टि0 पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

9. संबंधित राशि के व्यय की स्वीकृति वित्त विभाग से संचिका संख्या-11/अनु 1-01/14 के पृष्ठ-11/टि0 पर प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(सुनील कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 11/अनु 1-01/14 पटना, दिनांक 2014.

प्रतिलिपि:- सभी संबंधित कोषागार/उप कोषागार/कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय, विकास भवन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 11/अनु 1-01/14 14 पटना, दिनांक 8/7/2014.

प्रतिलिपि:- निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/सभी नगर आयुक्त/सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, नगर निगम/सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्/नगर पंचायत/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्था0)/वित्त विभाग (बजट शाखा एवं अंकेक्षण एवं लेखा शाखा)/विपत्र सहायक (दो प्रति में) आय-व्यय पदाधिकारी (मा0 शिक्षा)/प्रशाखा पदाधिकारी-05 एवं 11/लेखापाल, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

6/8/11

संयुक्त सचिव